



MSHEET NO. : 504655

DURG VISHWAVIDYALAYA DURG

CHHATTISGARH-INDIA
STATEMENT OF MARKS



B.Sc. PART III(10+2+3)
MAR-APR. 2018

ROLL NO. : 7611140026
NAME(SHRI/SMT/KU) : KAMLESHWARI
F/H NAME : SHRI ROHIT KUMAR
MOTHER NAME : SMT. RAMESHIYA
CENTRE : 407-INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE, PANDARIYA, KABIRDHAM
COLLEGE : 407-INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE, PANDARIYA, KABIRDHAM

ENR/REG NO. : ~~NO~~ DU1748832276
STATUS : REGULAR
MEDIUM : HINDI

Kamleshwari
कमलेश्वरी
कुल विद्यार्थी - कुल

DURG VISHWAVIDYALAYA DURG (C.G.)

SUBJECTS	SCHEME OF MARKS					MARKS			OBTAINED TOTAL	
	I	II	III	MIN	MAX	I	II	III		
FC HINDI LANGUAGE - I	075			026	075	037			037	
FC ENGLISH LANGUAGE - II	075			026	075	062			062	
CHEMISTRY	033	033	034	033	100	018	028	012	058	
PR.	050			017	050	041			041	
BOTANY	050	050		033	100	038	034		072	
PR.	050			017	050	043			043	
ZOOLOGY	050	050		033	100	030	036		066	
PR.	050			017	050	031			031	
TOTAL MARKS OBTAINED					600	TOTAL	410			
FIRST YEAR	SECOND YEAR	THIRD YEAR	GRAND TOTAL	RESULT	DIVISION	%				
TOTAL OUT OF	TOTAL OUT OF	TOTAL OUT OF	TOTAL OUT OF	TOTAL OUT OF						
352	600	407	600	410	600	1169	1800	PASS	FIRST	64.94%

ONE THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY NINE OUT OF 1800

1. The asterisk adjacent to make denotes failure (*)
2. The alphabet 'C' adjacent to make denotes carry forward.
3. 'A' denotes Absent.



DATE OF RESULT PUBLICATION
05/07/2018



Kamleshwari

CONTROLLER OF EXAMINATIONS
Durg Vishwavidyalaya
Durg (C.G.)

Checked by

CHHATTISGARH PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD, RAIPUR**Mandi Sub Inspector (MSI) Recruitment Exam 2021 Result**

DETAILS	
Roll No.:	21030426
Registration ID:	MSI213000877928
Candidate Name:	KAMLESHWARI
Gender:	F
Retaltive's Name :	ROHIT KUMAR
Category:	SC
Class :	Others
Date of Birth:	04/02/1997
Domicile:	YES
MARKS OBTAINED	
Obtained Marks:	94.003
RANKING	
Overall Rank	61
Category Rank :	54
Female Rank :	3
Female Category Rank :	2
Ph. Rank :	0
Ex. Rank :	0
FF Rank :	0
STATUS	
STATUS :	PRESENT



कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड़, तेलीबांधा, रायपुर-492006

फोन-0771-4240501, फैक्स-4094472, email-mdcgmandiboard@gmail.com, website-www.agriportal.cg.nic.in

क्रमांक/बी-1/1/विविध/176-4(जी)/2022-23/4839 रायपुर, दिनांक-29/09/2022

:: आदेश ::

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा मंडी निरीक्षक/उपनिरीक्षक (MSI21) परीक्षा उपरांत एवं परीक्षा परिणाम तथा गठित समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत निम्नानुसार अभ्यर्थियों को राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के प्रावधानों के अधीन, उपनिरीक्षक के पद पर विहित शर्तों के अध्याधीन, वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 (25300-80500) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ते पर, कॉलम नं. 04 पर अंकित पदस्थापना स्थल में उनके कार्य पर उपस्थिति दिनांक से अस्थायी रूप से अधोलिखित शर्तों पर, नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	पता	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
1	श्री रामकुमार बरिहा, पिता-श्री वतुर्भुज बरिहा,	म.नं. 95 भोई पारा, केना पो.आ. चट्टिगिरोला जिला महासमुंद पिन. 493558	कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा
2	श्री मानघाता पैकरा पिता- श्री धनश्याम पैकरा,	हाउस नं. 221 माझाबस्ती पोगरो तहसील कासाबेल पो.आ. कासाबेल जिला जशपुर पिन 496223	कृषि उपज मंडी समिति कुसमी जिला-बलरामपुर
3	श्री लक्ष्मीकांत चन्द्रवंशी, पिता- श्री हीरामन लाल चन्द्रवंशी	ग्राम पाटकोहरा पोस्ट आफिस चिचोला जिला राजनांदगांव पिन 491557	कृषि उपज मंडी समिति नयापारा जिला-रायपुर
4	श्री धनश्याम मंडावी पिता- श्री प्रकाश मंडावी,	मकान नं 19 वार्ड नं. 02 सरोली पो. आ. सरोली जिला राजनांदगांव पिन 491229	कृषि उपज मंडी समिति नयापारा जिला-रायपुर
5	श्री संजीत भगत पिता-श्री कृष्णा राम भगत	हाउस नं. 43 A हाउसिंग बोर्ड कालोनी चक्रधर नगर प्रगति कोचिंग सेंटर के पास रायगढ़ पो.आ. रायगढ़ जिला रायगढ़ पिन 496001	कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़ जिला-रायगढ़
6	श्री अजय कुमार नागवंशी पिता- श्री पोखनलाल नागवंशी,	C/O सहदेव सेठिया क्वार्टर नं H 71/72 धरमपुरा नं. 02 जगदलपुर पो.आ. बस्तर जिला बस्तर पिन 494001	कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर जिला-नारायणपुर
7	श्री मनीष कुमार धुध पिता- श्री सनत कुमार,	हाउस नं. 13 वार्ड नं. 01 नयापारा ग्राम जरउड पो.आ. जरउड तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पिन 493118	कृषि उपज मंडी समिति महासमुंद जिला-महासमुंद
8	श्री ओमप्रकाश नागेश पिता- श्री माखन सिंह नागेश,	हाउस नं 78 वार्ड नं. 05 तेदुपदर पो. आ अमलीपदर जिला गरियाबंद पिन 493891	कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला-धमतरी
9	श्री गजेन्द्र, पिता- श्री जोगी राम,	हाउस नं. 45 वार्ड नं 10 बेरला पो.आ. बेरला जिला बेरला पिन 491332	कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा जिला-कबीरघाम
10	श्री कीर्तिपाल पिता- श्री गुलाब सिंह,	हाउस नं. 21 आगाडोल पो.आ. बोतलदा जिला रायगढ़ पिन 496661	कृषि उपज मंडी समिति पथलगांव जिला-जशपुर

102	श्री आकाश पाटले पिता- श्री नंद कुमार पाटले	हाउस नं. 4/18 वार्ड नं. 04 गुलाब विहार कराडोल पो.आ. कराडोल जिला बलोदाबाजार- भाटापारा पिन 493335	कृषि उपज मंडी समिति कुरुद जिला-धमतरी
103	श्री दिलीप कुमार पिता- श्री टांगन रातनामी	हाउस नं. बी 143 ऊर्जा नगर दीपका पो.आ. रोवरा प्रोजेक्ट जिला कोरबा पिन 495452	कृषि उपज मंडी समिति सारंगड जिला-रायगड
104	श्री म्हुसुदन बंधोड पिता- श्री रुकमन लाल	हाउस नं. 181 स्कूल मोडेल्ला परसदा पो.आ. सरासपाली जिला महासमुंद पिन 493558	कृषि उपज मंडी समिति कुरुद जिला-धमतरी
105	श्री आकाश भारद्वाज पिता- श्री दमराम भारद्वाज	हाउस नं. एम 8 एस.ई.सी.एल मानिकपुर गल्ली का नाम मानिकपुर कोरबा पो.आ. मानिकपुर जिला कोरबा पिन 495082	कृषि उपज मंडी समिति कटघोरा जिला-कोरबा
106	श्री गोपाल लाडो पिता- श्री रमेश लाडो	हाउस नं. 107/1 भोरगदेव रोड ग्राम रेंगाखरखुर्द पो.आ. राजानवागांव जिला कबीरखाम पिन 491995	कृषि उपज मंडी समिति बलोदाबाजार जिला-बलोदाबाजार -भाटापारा
107	श्री मोहन पिता- श्री नारायण	हाउस नं. 178 बडई पास कुसमुल पो.आ. कुसमुल जिला जांजगीर चांपा पिन 495695	कृषि उपज मंडी समिति जेजेपुर जिला-जांजगीर-चांपा
108	श्री सचिन कुमार पिता- श्री धरम दास	रातनामी घास परसदा (दक्षिण) पो.आ. चौंद जिला रायपुर पिन 493661	कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला-धमतरी
109	श्री वीहर्षवरदान पिता- श्री लक्ष्मीनारायण	मकान नं. 64 रातनामी घास अधानकपुर पो.आ. डोंगरी जिला जांजगीर चांपा पिन कोड 495559	कृषि उपज मंडी समिति लोरमी जिला-मुंगेली
110	श्री टीकम सिंह पिता- श्री गीता राम	ग्राम पचरी पो.आ. मिस्ता जिला जांजगीर चांपा पिन कोड 495557	कृषि उपज मंडी समिति कटघोरा जिला-कोरबा
111	श्री अमित कुमार पिता- श्री रामदास	मकान नं. 54 नेतापारा वार्ड चडिया 04 पलारी पो.आ. पलारी जिला बलोदा बाजार- भाटापारा पिन-493228	कृषि उपज मंडी समिति कुरुद जिला-धमतरी
112	कु. मेहा ओगरे पिता- श्री जगजीवन ओगरे	हाउस नं. 95 सोनबरसा घास गिरसतरी जांजगीर चांपा पो.आ. चांपा बल्ला जिला जांजगीर चांपा पिन 495552	कृषि उपज मंडी समिति खरसिया जिला-रायगड
113	कु. कमलेश्वरी पिता - श्री रोहित कुमार	हाउस नं. 34 गली नं. 02 घोबघाटी पो.आ. घोबघाटी जिला कबीरखाम पिन 491559	कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा जिला-कबीरखाम
114	कु. लक्ष्मी लाल पिता- श्री मधुसूदन राव पात	नंबर 12 लोहारसी पो.आ. लोहारसी जिला जांजगीर चांपा पिन 495556	कृषि उपज मंडी समिति बरमकला जिला-रायगड
115	कु. लक्ष्माला बसुवेंदी पिता- श्री खेमलाल	हाउस नं. 37 दोहलापास गडडोंगरी पो.आ. गडडोंगरी जिला धमतरी पिन 493778	कृषि उपज मंडी समिति भारमा जिला-उ.ब.कांकोर
116	श्रीमति डोली देवी बघेल पति- श्री पुष्पेन्द्र बघेल	हाउस नं. 22 सुखापाली ग्राम सुखापाली पो.आ. सुखापाली जिला जांजगीर चांपा पिन 495691	कृषि उपज मंडी समिति मेल जिला-जांजगीर-चांपा

117	कु. अंजु दिनकर पिता- श्री पिला राम दीनकर,	हाउस नं 107 बस स्टैंड के पास लिम्हा पारा बुडगहन ब्लॉक बलोदा पो.आ. बुडगहन जिला जांजगीर चांपा पिन 495559	कृषि उपज मंडी समिति सारंगढ़ जिला-रायगढ़
118	कु. नीलम टंडन पिता- श्री शनि कुमार टंडन,	श्याम वाटिका गिलाई-3 हाउस नं. 1 गेट नं. 4 उमदा रोड वसुंधरा नगर घाट नं 17 गिलाई-03 पो.आ. गिलाई बरोदा जिला दुर्ग पिन 490021	कृषि उपज मंडी समिति बालोद जिला-बालोद
119	श्री हिम प्रकाश पिता- श्री तीज राम भारद्वाज,	पिरदा पो.आ. पिरदा जांजगीर चांपा पिन 495691	कृषि उपज मंडी समिति सारंगढ़ जिला-रायगढ़


शर्त :-

- संबंधित कर्मचारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर दर्शाये पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- उपरोक्त नियुक्ति छ.ग. शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020, दिनांक 29.07.2020 के अनुसार, छ.ग. मूलभूत नियम 22 C (1) अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दिया जायेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जायेगा।
- परीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति के दिनांक को यह अनुबंध करना होगा कि यह कम से कम 03 वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में 3 माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।
- यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा कालावधि राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम के अधीन बढ़ाई न गई हो, किन्तु उसे परिवीक्षा कालावधि के अंत में न तो स्थायी किया गया हो और न सेवा मुक्त किया गया हो तो वह इस शर्त के अध्याधीन रहते हुये सेवा में बना रहा समझा जायेगा किन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित में दी गई एक कलेण्डर मास की सूचना की अवधि समाप्त होने पर उसकी सेवा समाप्त की जायेगी।
- किसी भी व्यक्ति की अस्थायी नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय एक मास की लिखित सूचना पर या नियुक्ति पत्र में उल्लेखित रीति से समाप्त की जा सकेगी।
- यथास्थिति, परिवीक्षा कालावधि या परिवीक्षा की बढ़ाई गई कालावधि के अंत में किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी यदि यह पाता है कि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने उसे दिये गये अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या यह कि उसने अपेक्षित स्तर के अनुरूप कार्य नहीं किया है या वह अन्यथा अपने पद के लिये अनुपयुक्त पाया गया है तो उसे उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शाने का मुक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् आदेश द्वारा परिवीक्षा को समाप्त कर सकेगा और उसे सेवामुक्त कर सकेगा।
- कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी सेवारत परिवीक्षा कालावधि के दौरान या उसके अन्त में समाप्त कर दी गई हो, बोर्ड से किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- अन्यथा उपस्थिति के समय निम्नलिखित घोषणा पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
 - व्यक्ति को अपने स्वामित्व की, उसके द्वारा अर्जित या प्रबंधित या उसके कुटुम्ब के उस पर आश्रित किसी भी सदस्य के स्वामित्व की, उसके द्वारा अर्जित या प्रतिबंधित सम्पत्ति चल तथा अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।
 - भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान, संबंधी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
 - वह यह भी घोषित करेगा कि उसे सेवा के निबंधनों, नियमों तथा शर्तों की जानकारी है तथा वह उसका पूर्णतः पालन करेगा।

//10//

- 9) यह कि नियुक्ति कर्मचारी की उपस्थिति के पश्चात् उसके चरित्र संबंधी जांच राज्य मंडी बोर्ड द्वारा पुलिस विभाग से कराई जायेगी। यदि पुलिस सत्यापन में नियुक्ति किये गये अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी या रिपोर्ट प्राप्त होती है तो ऐसी नियुक्ति को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।
- 10) नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति तिथि से एक माह के भीतर प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11) चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो संबंधित की नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
- 12) यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे। प्रमाणित किया जाता है कि इस नियुक्ति में आरक्षण नियमों के अन्तर्गत रोस्टर का पालन किया गया है।
- 13) आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. के निर्णय के अधीन होगी।
- 14) यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर के रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 तथा 594/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)


अतिरिक्त प्रबंध संचालक
छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
रायपुर (छ.ग.)

पृ०क्रमांक/बी-1/1/विविध/176-4(जी)/2022-23/4840 रायपुर, दिनांक-29/09/2022
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग छ.ग. शासन एवं पदेन अध्यक्ष, छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर (छ.ग.)।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यापम भवन नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर नवा रायपुर।
3. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर (छ.ग.)।
4. निज सहायक, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर (छ.ग.)।
5. अपर संचालक/अधीक्षण अभियंता/संयुक्त संचालक, छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)।
6. संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर (छ.ग.)।
7. उप संचालक वित्त/सहायक संचालक/लेखाधिकारी, छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)।
8. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति _____
जिला _____ (छ.ग.) की ओर लेख है कि संलग्न प्रारूप (एक) अनुसार संबंधितों से 50 रु के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लेना एवं अनुबंध पत्र निष्पादित करना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित श्री _____
की ओर पालनार्थ। _____ पिन कोड- _____ (छ.ग.)

//11//

10. श्री ऋषिन्द्र कुमार नामदेव, प्रोग्रामर संविदा, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय रायपुर की ओर निर्देशित किया जाता है कि मंडी बोर्ड के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. कार्यालयीनबोर्ड / मंडी / कार्मिक / लेखा / निर्माण / स्टोर / सूचनप्रबंधन / नियमन / ऑडिट / न्यायालयीन / सूचना के अधिकार / आवक-जावक शाखा / व्य.न. / आदेश नरती।


अतिरिक्त प्रबंध संचालक
छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
रायपुर (छ.ग.)



इंदिरा गांधी शासनाध्यक्ष महाविद्यालय, पण्डरिया
जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

प्रवेश क्र. 35

परिचय पत्र

प्रवेश दिनांक-22/08/22

सत्र 2021-22

नाम : गीताराम
पिता का नाम : श्री सहदेवराम
कक्षा : B.Sc.- III (Year)
जन्मतिथि : 26.02.2000
पता : नानापुरी, पो. नानापुरी, तह.-
पण्डरिया, जिला कबीरघाम (छ.ग.)
मोबाईल नं. : 8878682295



हस्ताक्षर प्रचार

2022.13.03 19:23



CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
(Ministry of Home Affairs)

CISF UNIT BHEL BHOPAL
CISF UNIT BHEL BHOPAL
POST-BHOPAL
DISTT.-BHOPAL
MADHYA PRADESH-462022

E-32023/CISF/BHEL(B)/RECTT-CT/GD(2018)/2021- 193

Dated:11-11-2022

To,

No. 6204114552
GEETA RAM SAHU

H no 87 ward no 06 Nanapuri post office
Nanapuri tahshil pandariya Distt-
KABIRDHAM (KAWARDHA, State-
CHHATTISGARH, PIN- 491559.

**Subject: RECRUITMENT OF CONSTABLE/GD IN CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE :
OFFER OF APPOINTMENT**

Reference your selection to the post of Constable/GD in Central Industrial Security Force.

2. You have been provisionally selected for **appointment** as Constable/GD in CISF on the following terms and conditions:-

- i. You will draw the pay in the **Pay Matrix Level-3, Rs.21700-69100.**
- ii. Your appointment will be subject to the conditions given in the Agreement Form, which will be required to be filled at the time of reporting at

RTC RTC DEOLI
CISF RTC DEOLI, PO- DEOLI, TONK, RAJASTHAN
Nearest Airport:- JAIPUR
Nearest railway station:- KOTA JN
Nearest bus Depot:- DEOLI

- iii. You will be on probation for a period of two years.
- iv. The Appointing Authority may discharge you from service at any time during the period of probation, if in their opinion, your work or conduct during this period is considered unsatisfactory, or shows that you are not fit for permanent appointment.
- v. You will be considered for confirmation in service on your successful completion of probation and if you are found fit in every respect for confirmation.
- vi. It should be understood that your appointment is subject to any change in the Recruitment Rules framed from time to time and that you will have no claim for compensation in consequence of any such change. Further you will be subjected to the provisions of Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968) and Central Industrial Security Force Rules, 2001 as amended from time to time.
- vii. You are liable for transfer to any station in the Union of India.
- viii. You are liable to be employed at any place within or outside India.
- ix. You are liable to serve in NSG, SPG or any other Force of the Country in the broader interest of National

- x. In case you belong to SC/ST category your appointment will be subject to the Caste/Tribe certificates being verified through the proper channels and if the verification reveals that your claim to belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.
- xi. In case you belong to OBC category, you are required to submit the original OBC Certificate. In addition to this, you are also required to submit a declaration about your creamy layer status. Your appointment is provisional and is subject to the community certificate being verified through the proper channels. If the verification reveals that your claim or your declaration regarding your creamy layer status is false, your services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of Indian Penal Code for production of false certificates.
- xii. In case you belong to EWS, your appointment is provisional and will be subject to the income and asset certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to EWS is fake/false, your services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of fake/false certificate.
- xiii. If there is material evidence at a later date to prove that you had not met any of the criteria laid down for recruitment like domicile, category (SC/ST/OBC/EWS), educational, physical and medical standards etc, your provisional call up notice will be cancelled. You will further be liable to be terminated in case of the mistake coming to the knowledge of the department after your joining in the service.
- xiv. The vacancies are distributed amongst the States according to their population ratio. Domicile of the particular State are eligible for appointment against the vacancies allotted to that particular State. Your appointment is provisional and is subject to the status of domicile or domicile certificate being verified. If the verification reveals that the claim to belong to that particular State against whose vacancy your selection has been made is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code.
- xv. **You will be subjected to fresh medical examination at the time of reporting to RTC, if the validity period of one year from the date of fitness to joining service is over in terms of recruitment medical guidelines issued by MHA vide UO dated 20/05/2015. In such a situation, you will be allowed to the join the post after being found fit in fresh medical examination.**

3. **If you accept the above mentioned terms and conditions, you may report to Principal, RTC DEOLI on 23-12-2022 (FN) repeat on 23-12-2022 (FN) for joining the post of Constable/GD in the Central Industrial Security Force and undergoing the basic training .**

4. **In case you fail to report to the Training Centre by 23-12-2022(FN) , it will be presumed that you are not interested to accept this offer and the candidature will automatically stand cancelled.** However, if you are not able to report to the Principal RTC DEOLI for joining the post of Constable/GD in the Central Industrial Security Force by 23-12-2022(FN) due to unavoidable or compelling circumstances, you may submit your request with full facts/justifications to the Principal RTC DEOLI. Your request for extension should reach the Principal RTC DEOLI by 20-12-2022 through speed post only failing which it will be presumed that you are not interested to join and your call up notice will be cancelled. You should enclose all necessary documents in support of your request for extension, which will be considered by the competent authority. The decision of the competent authority shall be final and binding. There will be no appeal against the order of the competent authority.

5. It is further informed that you are required to carry the following documents in original:-


- a. Two copies of Attestation Forms (Already supplied or enclosed) duly filled in completely. (In case the answer to any question of column No. 15(i) of attestation form is "YES" then you must submit complete details of the case to the Principal RTC DEOLI immediately by post on receipt of this call up notice for joining. Only on hearing from the Training Centre you will report for the basic training. It is once again reiterated that without forwarding the details in advance and without hearing from Training Centre you will not be allowed to join for the basic training).
- b. Certificate of Character (Annexure-IV format already supplied or enclosed), duly signed in appropriate column by the Sub-Divisional Magistrate/District Magistrate of your District.
- c. Character and antecedent certificate (format already supplied or enclosed) from your local SHO duly filled in completely and signed. Your recent passport size photographs should be affixed on the right side

11/11/22, 4:32 PM

about:blank

- d. All original certificates pertaining to your educational qualifications, date of birth, belonging to SC/ST/OBC/EWS/Hillman/Tribesman and Sports/NCC/ Other extra-curricular activities.
 - e. Two copies of your recent passport size photographs.
 - f. In case, you are already employed in Govt/Quasi Govt/Public Sector undertaking etc, you should get yourself relieved after duly observing the formalities as applicable before reporting at above Training Centre.
6. If you had applied for other services before joining CISF, you should intimate all the details in this regard to the Principal Training Centre immediately on joining for basic training, failing which your request to leave the department on 'technical resignation' will not be considered.
 7. You must open a simple saving bank account in your name in State Bank of India repeat State Bank of India before joining at the Training Center. You should bring passbook, chequebook and ATM card for drawal of payment. If feasible, you should also bring PAN Card and Aadhar Card (as proof of Identity) for easy and quick opening of your account for New Pension Scheme.
 8. You should be in possession of sufficient money in your account, at least Rs.8000/- for your own mess deposit which will be deposited to the Training Centre at the time of reporting. The mess deposit will be done by cheque.
 9. You should also carry your personal belongings including proper clothing and bedding and other items of daily use which may be required by you.
 10. You are advised not to be in possession of jewellery or expensive ornaments.
 11. You will not be allowed to carry mobile phones during the training activities.
 12. You are also advised not to bring any expensive gadget or any expensive item.
 13. No TA/DA will be admissible to you for this journey.
 14. The "NEW RE-STRUCTURED DEFINED CONTRIBUTION PENSION SYSTEM" applicable for the new entrants to the Central Government Services w.e.f. 1st January, 2004 will also be applicable to you.


Signature of appointing authority with designation & date (Commandant only)


HARISH KUMAR SAHU
COMMANDANT (CHAIRMAN)
CISF UNIT BHEL, BHOPAL

Encls (If not supplied earlier):

- i. Two Attestation Forms
- ii. Annexure-IV
- iii. Form of SHO certificate.

CHHATTISGARH POLICE



APPOINTMENT CERTIFICATE

SERVICE ROLL NO. 518

DISTT. RAJNANDGAON

NAME ANIL KUMAR

S/O SHRI DUKHU RAM

CASTE GOND (S.T.) HAS BEEN APPOINTED AS MEMBER OF POLICE FORCE UNDER CG POLICE ACT 2007 AND IS VESTED WITH THE POWERS, FUNCTIONS AND PRIVILEGES OF A POLICE OFFICER.

DATE OF APPOINTMENT 03-04-2021 (F.N.)

NINE APRIL TWO THOUSAND TWENTY ONE

RANK CONSTABLE (G.D.)

OBNO/DATE 231/03-04-2021



**PROVISIONAL
CONFIRMATION**

SUB-DIVISIONAL POLICE
RAJNANDGAON (C.G.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 P.T. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Statement of marks for the examination of
 B.Sc. (PART II) (2+1)
 (REVISED AFTER REVALUATION)
 MAR/APR 2017

SHEET NO. 476

NAAC Accredited "A"

ROLL NO. : 48106
 ENR/REG NO. : VY/KM/11
 NAME(S) IN NAT/KN : ANIL KUMAR
 FJI NAME : SHRI BOKHU RAM
 MOTHER NAME : SMT. ANNEBAI
 CENTRE : ALL INDIA GANDHI GOVT. COLLEGE, PANDARIYA, KABIRDHAM
 COLLEGE : ALL INDIA GANDHI GOVT. COLLEGE, PANDARIYA, KABIRDHAM

STATUS : REGULAR
 MEDIUM : HINDI



SUBJECTS	SCHEME OF MARKS					MARKS			OBTAINED TOTAL		
	I	II	III	MIN	MAX	I	II	III			
FC-HINDI LANGUAGE				026	075	029			029		
FC-ENGLISH LANGUAGE				020	075	028			028		
BOTANY PR.	050	050		013	100	034	020		054		
CHEMISTRY PR.	050			017	050	038			038		
ZOOLOGY PR.	050	077	034	033	100	009	011	010	030		
	050			017	050	019			039		
	050	050		033	100	032	018		050		
	050			017	050	028			038		
TOTAL MARKS OBTAINED					600	TOTAL	316				
M A R K S	FIRST YEAR		SECOND YEAR		THIRD YEAR		GRAND TOTAL		RESULT	DIVISION	*
	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF	TOTAL	OUT OF			
	290	600	325	600	316	600	931	1800	PASS GRACE, 3	SECOND	51.72
NINE HUNDRED THIRTY ONE OUT OF 1800											

1. The asterisk adjacent to marks denotes failure (%)
2. The alphabet 'C' adjacent to marks denotes carry forward
3. 'A' Denotes Absent.



CANDIDATE'S COPY

Chhattisgarh Professional Examination Board, RAIPUR
Jyesth Samparikshak and Sahayak Samparikshak(SAA21)
Recruitment Exam

ADMIT
CARD



Registration No.: SAA213331452725
Roll No.: 13022257
Candidate's Name: PARMESHWARI
Relative's Name: GANESH RAM
Date of Birth: 08/01/1998
Gender: FEMALE Category: SC
Class: Others



Address of Candidate :
60, DULLAPUR BAZAR, DULLAPUR
BAZAR, Kabirdham - 491559,
CHATTISGARH

Date of Exam :
02/01/2022
Time
09:00 AM to 12:15 PM

परमेश्वरी

Examination Center code and Name
13022, BURGESS ENGLISH MEDIUM HR. SEC. SCHOOL, BILASPUR

Advisor Signature

अभ्यर्थी के लिए आवश्यक निर्देश

1. सभी अभ्यर्थियों के लिए सायक/पेन्स कवर लगाना अनिवार्य है, बिना सायक/पेन्स कवर के अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
2. परीक्षाओं में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पूर्व परीक्षा केंद्र में जाकर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
3. परीक्षाओं में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व परीक्षा केंद्र में अनिवार्य रूप से जाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
4. परीक्षाओं में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व परीक्षा केंद्र में अनिवार्य रूप से जाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
5. परीक्षाओं में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व परीक्षा केंद्र में अनिवार्य रूप से जाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
6. परीक्षाओं में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व परीक्षा केंद्र में अनिवार्य रूप से जाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
7. अभ्यर्थी अपने साथ हेल्थ सैनिटायजर की छोटी सारथली खोल कर रख सकते हैं।
8. परीक्षा हॉल में एवं परीक्षा हॉल के बाहर अभ्यर्थियों को भारत सरकार/ कक्षीय/सहायक साधन के द्वारा कोविड-19 के संरक्षण में जारी आवश्यक निर्देशों का पालन करना होगा।
9. निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षा अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकते हैं।

27/1 - 2019-20

1. Name of the Examination (परीक्षा का नाम)	2. Date of Examination (दिनांक)	
3. Roll Number (अनुक्रमांक)	4. Question Booklet Number (प्रश्न पुस्तिका संख्या)	5. Question Booklet Number (प्रश्न पुस्तिका संख्या)

CANDIDATE'S COPY

Chhattisgarh Professional Examination Board, RAIPUR
Jyesth Samparikshak and Sahayak Samparikshak(SAA21)
Recruitment Exam

ADMIT
CARD

Registration No.: SAA213001433089

Roll No.: 13019488


Candidate's Name : HEERA LAL

Relative's Name : RANJEET SINGH

Date of Birth: 25/06/1998

Gender: MALE Category: SC

Class : Others



Address of Candidate :
NO.137/2, WARD NO.7, MAHALI,
BIRDHAM - 491559, CHATTISGARH

Date of Exam :
02/01/2022
Time
09:00 AM to 12:15 PM

हीरालाल

Examination Center code and Name
019, BURGESS MEMORIAL GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL,
FRONT OF POLICE GROUND, LINK ROAD, CIVIL LINE, BILASPUR

Advisor Signature

अभ्यर्थी के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. सभी अभ्यर्थियों के लिए मार्क/फेस कार्ड लगाना अनिवार्य है, बिना मार्क/फेस कार्ड के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

2. परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतवाला पहचान पत्र/आइडिंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड जितने अभ्यर्थी का फोटो हो, का मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3. परीक्षार्थी परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारंभ समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र में अनिवार्यतः उपस्थित हो, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन मूल पहचान पत्र से किया जा सके। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में संलग्न अधिकारियों के निर्देश के अनुसार अपने मार्क को छटाना होगा।

4. परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल कारी या नील बाल फ्लाइंग पेन को ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग में लावे।

5. किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य सामग्री लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा केंद्र में घरे, घांजन, स्मॉक एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लाना पूर्णतः वर्जित है।

6. काउंसिलिंग के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, जल्द इसे सुरक्षित रखें। व्यापक द्वारा घोषणा जारी नहीं किया जाएगा।

7. अभ्यर्थी अपने साथ हेल्थ सैनिटाइजर की छोटी भारदर्शी बोतल रख सकते हैं।

8. परीक्षा केंद्र में एवं परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों को भारत सरकार/छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी अध्यादेश निर्देशों का पालन करना होगा।

9. निर्देशों का पालन न करने पर बीकए अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकते हैं।

Examinee

प्रश्नों की संख्या जिनके उत्तर देने से वंचित कर सकते हैं।